

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 1730/डी /2017/19/यो

भोपाल, दिनांक 31-3-17

प्रति,

- 1 प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
भोपाल
- 2 समस्त मुख्य अभियंता (..... परि),
लोक निर्माण विभाग,
.....

विषय: मजबूतीकरण मद/विशेष मरम्मत में प्राक्कलन प्रशासकीय स्वीकृति हेतु शासन को प्रस्तुत करने विषयक।


उपरोक्त विषय में लेख है कि प्रायः यह देखा गया है कि जो प्राक्कलन शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाते हैं उनमें मार्ग की श्रेणी विभाग की पुस्तिका पर अंकित है या नहीं/क्षतिग्रस्त भाग के फोटोग्राफ्स/प्रधानमंत्री सड़क योजना में शामिल है अथवा नहीं, मार्ग की कुल लंबाई/क्षतिग्रस्त भाग की लंबाई/सड़क के छेप भाग की स्थिति की जानकारी संलग्न नहीं की जाती है।

अतः निर्दिष्ट किया जाता है कि भविष्य में शासन को प्रेषित किये जाने वाले प्राक्कलन में उपरोक्त जानकारी संलग्न कर प्रेषित किये जावे।

सहयत्र- 0

(टीपक असाई)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग



243
7/4/17

200-992
10/4/17

2/4/17